उत्तर प्रदेश शासन

कृषि अनुभाग-2

संख्या- 3/2018/115/12-2-2018-108/2017

लखनऊ: दिनांक: 24 जनवरी, 2018

शुद्धि पत्र

जनपद सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच में नये कृषि विज्ञान केन्द्रों की स्थापना किए जाने हेतु जनपद सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज एवं बहराइच की कृषि विभाग की चिन्हित भूमि संबंधित कृषि विश्वविद्यालय, मेरठ/फैजाबाद/कानपुर को तथा जनपद हरदोई की चिन्हित भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग को शासनादेश संख्या: 82/2017/4391/12-2-2017-108/2017 दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 द्वारा तत्काल प्रभाव से आगामी 30 वर्षो के लिए पटटे पर नि:शुल्क हस्तान्तरित की गयी।

2. तत्क्रम में कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान अनुभाग के पत्र संख्या: 2954/67-कृशिअ-17-1500(3)/16 दिनांक 9 जनवरी, 2018 द्वारा किये गये अनुरोध के क्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए जनपद हरदोई स्थित एग्रीकल्चर फार्म राजकीय कृषि प्रक्षेत्र, जैतपुर, तहसील-सण्डीला की चिन्हित 18.0 है0 भूमि कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के पक्ष में नि:शुल्क हस्तान्तरित किए जाने की एतदद्वारा स्वीकृति प्रदान की जाती है।

2. शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर, 2017 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। शासनादेश की शेष शर्ते यथावत रहेंगी।

ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी

विशेष सचिव।

संख्या: 3/2018/115(1)/12-2-2018 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. विशेष सचिव, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. कृषि निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
3. जिलाधिकारी, सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच।
4. जिला कृषि अधिकारी, सम्भल, अमरोहा, अमेठी, कासगंज, हरदोई एवं बहराइच।

आज्ञा से,

(उमा कान्त पाठक)

संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।